न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 7/2017

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. सुरजाराम पटेल पुत्र खेताराम पटेल (मैसर्स मा नागणेची किराणा स्टोर, मीरा शोपिंग सेंटर, समदड़ी चौराहा, जोधपुर बालेसर रोड़ कल्याणपुर बाड़मेर)
2. रेवंतराम जोशी पुत्र रामनारायण जोशी (मैसर्स नेशनल फूड पैकर्स, गोविन्द नगर, एन एच 89 रोड के अन्दर नोखा जिला बीकानेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स मा नागणेची किराणा स्टोर, मीरा शोपिंग सेंटर, समदड़ी चौराहा, जोधपुर बालेसर रोड कल्याणपुर बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **05.05.2016** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी बेस्ट डेयरी** जो कि 940 एम एल पैक में दुकान की रैक में रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर 940 एम एल के 4 पैक **घी बेस्ट डेयरी** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **एडी–362** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी बेस्ट डेयरी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी बेस्ट डेयरी** का नमूना असुरक्षित एवं मिथ्याछाप **(Unsafe and Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नमूने की पुनः जांच करने का निवेदन किया। इस पर अप्रार्थी की फर्म से लिये गये नमूने को पुनः जाँच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया जहाँ प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनाँक 05.11.2016 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक **(Sub-statndard)** पाया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक निर्दिष्ट प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2016 में उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक श्रेणी का पाया गया है। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण हेतु अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर समुचित अवसर प्रदान किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये और न ही परिवाद का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। ऐसे मे अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्र[illegible]

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य [illegible] 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर संयुक्त रूप से [illegible] का जुर्माना अधिरोपित किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested